निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन 1942 (श0)
(सं0 पटना 156)   पटना, मंगलवार 9 मार्च 2021

xg foHkkx
vfHk;kstu funs'kky;

अधिसूचना
4 मार्च 2021

सं० अ0नि0(12)20/2019—465/अभि0——बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ बिहार, अभियोजन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपर विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाता है:–

Ø0	ftyk	inLFkkiu LFky	uke ,o inuke
1.	अररिया	जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया	Jh f'kouUnu jtd अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पटनासिटी से जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया स्थानांतरित करते हुए।
2.	बेतिया	जिला अभियोजन कार्यालय, बेतिया	Jh mes'k dqekj fo'okl अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0।
3.	औरंगाबाद	जिला अभियोजन कार्यालय, औरंगाबाद	Jh vjfoUn dqekj अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0।
4.	किशनगंज	जिला अभियोजन कार्यालय, किशनगंज	Jh lq[knso lkgt अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0।
5.	बेगूसराय	जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय	Jh jk/ks';ke iklkn अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0, जिला अभियोजन कार्यालय, नालंदा (बिहारशरीफ) से जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय स्थानांतरित करते हुए।

Ø0	ftyk	inLFkkiu LFky	uke ,oa inuke
6.	शिवहर	जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर	Jh vey dqekj अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0 जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा से जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर स्थानांतरित करते हुए।
7.	जहानाबाद	जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद	Jh jkepUnz Bkdqj अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी।

2. श्री शिवनन्दन रजक, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, पटनासिटी को बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित वादो को अररिया जिला में संचालनार्थ अनुमण्डल अभियोजन कार्यालय, पटनासिटि से जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।

3. श्री राधेश्याम प्रसाद, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0, नालन्दा(बिहारशरीफ) को बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित वादो को बेगूसराय जिला में संचालनार्थ जिला अभियोजन कार्यालय, नालन्दा(बिहारशरीफ) से जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।

4. श्री अमल कुमार, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0, शेखपुरा को बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित वादो को शिवहर जिला में संचालनार्थ जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा से जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।

5. उपरोक्त अपर विशेष लोक अभियोजक पर विधि विभाग का नियंत्रण होगा, लेकिन वेतनादि के संबंध में पूर्ववत् व्यवस्था बनी रहेगी। विधि विभाग का नियंत्रण केवल परिचालात्मक (Operational Control) होगा।

6. विशेष लोक अभियोजक और उपरोक्त अपर विशेष लोक अभियोजक के बीच वादो के बटवारे का दायित्व पूर्व से विधि विभाग द्वारा प्राधिकृत/सी0आर0पी0सी0 की धारा–24(8) के तहत् नियुक्त विशेष लोक अभियोजक का होगा।

7. न्यायालय में जमानत की सुनवाई के दौरान भी विशेष लोक अभियोजक ही राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत अपर विशेष लोक अभियोजक काम करेगें।

8. वादो की महत्ता को देखते हुए संबंधित जिला पदाधिकारी उस वाद को विशेष लोक अभियोजक या किसी भी अपर विशेष लोक अभियोजक को आवंटित कर सकते है।

9. उपर्युक्त नियुक्त अपर विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादो से संबंधित मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महीने में जिले में आयोजित डी0एल0सी0–II की बैठक में प्रस्तुत करेगें।

10. उपर्युक्त प्रस्ताव पर विधि विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
¼gŒ½&vLi"V]
mi lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 156-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in